न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 59/2016

बलदेवसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 11 जी छोटी (ढाणी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरजंटसिंह पुत्र हरदयालसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी कमरानिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 29.02.2016

उपस्थिति :—

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक अपीलार्थी ।

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक रेस्पो. ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 14.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो.सं.1 ने वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 53,188, 92ए पेश कर कथन किया कि वादी के पिता हरदयालसिंह के नाम से चक 11 जी छोटी के मु.न. 40 के कि.न. 13/2 से 25 की 3.163 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पिता की मृत्यु के पश्चात विरासतन इन्तकाल दर्ज हो चुका

14/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

है। जो वादी एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। अभी तक उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा नहीं होने से काश्त आदि में असुविधा होती है। वादी ने प्रतिवादी को भूमि के विभाजन के लिए कहा लेकिन वह दिनांक 05.08.2012 को इन्कार हो गया । यही वादकारण पेदा हुआ है। अतः निवेदन है कि वाद स्वीकार कर अनुतोष की मद क व ख के अनुसार डिक्री किया जावें ।

प्रतिवादी ने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।वादी ने काउन्टर क्लेम का जबाव पेश कर काउन्टर क्लेम को खरिज करने का निवेदन किया ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 वाद बिन्दु कायम किये गये ।

सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.02.2016 को वाद स्वीकार विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगाने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट/ प्रतिवादी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात दिनांक 29.02.2016 को अपीलांट व रेस्पो तथा बहिनों के मध्य बंटवारानामा हुआ था जिसमें मौखिक सहमति हुई थी । यह तथ्य अधी.न्यायालय के समक्ष मौजूद थे फिर भी अधी.न्यायालय ने उक्त दस्तावेज पर गौर न करने में कानूनी भूल की है। अधी.न्यायालय ने तनकी सं. 1 से 3 को साबित करने का भार वादी पर डाला था जिसे वादी साबित करने में सफल नहीं रहा फिर भी उनका निर्णय वादी के पक्ष कर दिया । तनकी सं. 4 व 6 को अपीलांट ने पूर्ण रूप से साबित किया है। अपीलांट ने घरू बंटवारा के आधार पर 8.05 बीघा भूमि अपीलांट के नाम से किये का निवेदन किया था जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं की थी ।ऐसी स्थिति में पारिवारिक समझोता को मानना चाहिए था जो नहीं मानकर अधी.न्यायालय ने भूल की है। अतः

14/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावें । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने डीएनजे 2010 (एससी)208, 202 के न्याय दृष्टान्त पेश किये ।

विद्वान अभिभाष रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट जो पारिवारिक समझोता बता रहा है उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है एवं सहमति नहीं है इसलिए उक्त समझोता को मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि पारिवारिक समझोता विधिसम्मत नहीं था । अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है एवं राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि अनुसार वाद डिक्री किया एवं तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाये । जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने 2012 (3)आरएलडब्लू पेज 2718 की नजीर पेश की ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट को मुख्य तर्क यह रहा है कि पारिवारिक समझोता को अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर वाद को डिक्री किया जाना चाहिए था इसके अलावा अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में यह स्वीकार किया है कि बंटवारानामा दिनांक 29.02.2016 को सर्दुलसिंह व बहिन मनजीतकौर ने मौखिक रूप से सहमति दी थी । इस प्रकार स्पष्ट है कि बंटवारनामा पर सभी की लिखित सहमति नहीं थी जो कि होना आवश्यक है। अधी.न्यायाल ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादी/रेस्पो. के हिस्सा की सीमा तक विभाजन करवाकर तथा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया गया है। अपीलांट द्वारा यह कथन नहीं किया कि रेस्पो. का जो हिस्सा घोषित किया गया है वह अधिक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील

14/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

बलदेव सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 11 जी छोटी (ढाणी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. गुरजंटसिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 11 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी कमरानिया तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 59 सन् 2016 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 29.02.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 14 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सुभाष मिढा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री गुरचरण सिंह अभिभाषक रेस्पों. व श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ....X.......) रूपये ..... X ....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14 माह 09 सन् 2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर